

कार्यालय सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पं.स.रायपुर

क्रमांक :- MJSA/Tender/uf/2016-17/287

दिनांक :- 08.02.2017

अल्पकालीन ई निविदा सूचना 02/2016-17

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत निर्बन्ध राशि से स्वीकृत निम्नलिखित कार्य मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है, के लिये उपर्युक्त श्रेणी में सक्षम पंजीकृत संवेदको (सा.नि.वि., जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सीएडी एवं अन्य सरकारी विभाग) से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण के तहत पंचायत समिति रायपुर में चयनित गांवों में निर्बन्ध राशि से स्वीकृत अकृषि भूमि पर स्टेगर्ड ट्रेंच, सीसीटी, डीप सीसीटी, एम.पी.टी निर्माण कार्य, संकनगली पिट एवं कृषि भूमि पर मेड़बंदी निर्माण कार्य
ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/निविदा जमा कराने की तिथि	10.02.2017 सांय 5.00 बजे से 21.02.2017 सांय 4.00 बजे तक http://eproc.rajasthan.gov.in
निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस की डी.डी. भौतिक रूप से जमा कराने की तिथि	22.02.2017 तक दोपहर 12.00 बजे तक सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति रायपुर
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	22.02.2017 दोपहर 3.00 बजे से

निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> and www.spp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(गिरीश कुमार जिरोता)

सहायक अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
पंचायत समिति रायपुर

क्रमांक :- MJSA/Tender/uf/2016-17/288-294

दिनांक :- 08.02.2017

प्रतिलिपी :-

1. श्रीमान निदेशक महोदय सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना जोधपुर संभाग के राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर संस्करण में राज्य सरकार से D.P.R में अनुमोदित दर पर प्रकाशित करवाने हेतु निवेदन है।
2. श्रीमान ए.सी.पी. आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक जलग्रहण प्रकोष्ठ एवं डाटा सेन्टर,पाली।
4. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, सोजत।
5. उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान,पंचायत समिति रायपुर.
6. प्रधान, पंचायत समिति रायपुर.
7. विकास अधिकारी एवं सदस्य सचिव मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, पंचायत समिति रायपुर
8. रक्षित पत्रावली।

(गिरीश कुमार जिरोता)

सहायक अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
पंचायत समिति रायपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पं.स.रायपुर

क्रमांक :- MJSA/Tender/uf/2016-17/287

दिनांक :- 08.02.2017

अल्पकालीन ई निविदा सूचना 02 / 2016-17

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत निर्बन्ध राशि से स्वीकृत निम्नलिखित कार्य मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है, के लिये उपर्युक्त श्रेणी में सक्षम पंजीकृत संवेदको (सा.नि.वि., जल संसाधन विभाग सीएडी एवं अन्य सरकारी विभाग) से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत (रूपये में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	कार्य स्थल	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	अकृषि भूमि पर स्टेगर्ड ट्रेंच, सीसीटी, डीप सीसीटी निर्माण कार्य	43.25	86500	500	एमजेएसए द्वितीय चरण के अन्तर्गत चयनित परियोजना क्षेत्र आई.डब्ल्यू.एम.पी. 21, वर्ष (2011-12)	3 माह
2	अकृषि भूमि पर एम.पी. टी. निर्माण कार्य	37.23	74460	500		
3	कृषि भूमि पर मेड़बंदी कार्य	7.25	14500	500		
4	अकृषि भूमि पर संकन गली पिट निर्माण कार्य	0.91	1820	500		

अ सामान्य:

1. निविदा सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण,पं.सं. रायपुर के कार्यालय में ऑन-लाईन खोली जायेगी।
2. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
3. निविदा खोलने से पूर्व 50.00 लाख रूपये तक की निविदा हेतु 500 रूपये प्रति निविदा तथा 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि की निविदा हेतु 1000 रूपये प्रोसेसिंग फीस की राशि की डी.डी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि **सहायक अभियन्ता (PIA) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंचायत समिति रायपुर** के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं प्रोसेसिंग फीस का शुल्क **Managing Director, RISL Payable at jaipur** के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय में निविदा की बिड खोलने की दिनांक 22.02.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

ब बिडींग डाक्यूमेन्ट:-

1. निविदा प्रपत्र वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 10.02.2017 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 21.02.2017 को सांय 4.00 बजे तक डाउनलोड (download) कर सकते हैं। इन निविदाओ को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराये जा सकते हैं।
2. प्राप्त निविदाए इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में इसी वेबसाईट पर उपस्थित निविदादाताओ व उनके प्रतिनिधियो के समक्ष दिनांक 22.02.2017 को दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाए खोली जावेगी।
3. निविदाओ की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
4. ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :-
 - अ. इन निविदाओ में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से (download) कर सकते हैं।
 - ब. निविदाओ में भाग लेने वाले निविदादाताओ को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है। नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - स. निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 - द. ऑनलाईन निविदाए निर्धारित दिनांक एवं समय पर ऑनलाईन खोली जायेगी।
 - य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
 - र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकी जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करे।
5. निविदा सूचना वेबसाईट www.watershed.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है
6. समस्त विवादो का न्यायिक क्षेत्र रायपुर होगा।

7. निविदा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी जो निम्नतम निविदा स्वीकार करने के लिए स्वयं आबद्ध नहीं है और प्राप्त किन्हीं या सभी निविदाओं को कोई कारण बताये बिना अस्वीकार करने का प्राधिकार अपने पास आरक्षित रखता है।
8. स्वीकार नहीं की गई निविदाओं या लौटाये गये प्रारूपों या प्रस्तुत नहीं की गई निविदाओं के लिए निविदा फीस का कोई प्रतिदाय दावा योग्य नहीं है।
9. राजस्थान लोक उपानन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावी होगा।
10. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

(गिरीश कुमार जिरौता)
सहायक अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
पंचायत समिति रायपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पं.स.रायपुर
निविदा शर्तें

निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करावें।

- धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी जो कि सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण (IWMP-21) पंचायत समिति रायपुर के नाम देय होगी।
- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड करके भरने की अवधि दिनांक 10.02.2017 सांय 5.00 बजे से 21.02.2017 को साय: 4.00 बजे तक होगी।
- धरोहर राशि के प्रपत्र (डी0डी0, मान्य टैक्स क्लियरिन्स प्रमाण पत्र, राजकीय विभाग में फर्म का रजिस्ट्रेशन, पेन कार्ड की प्रतिलिपि, प्रोसेसिंग फीस की डी.डी.) सहायक अभियन्ता (IWMP-21) पंचायत समिति रायपुर के कार्यालय में दिनांक 22.02.2017 तक दोपहर 12.00 बजे तक जमा कराने होंगे।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 21.02.2017 को साय: 4.00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ इलैक्ट्रॉनिक फोरमेट में <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. आई.डब्ल्यू.एम.पी. पंचायत समिति रायपुर कार्यालय में दिनांक 22.02.2017 को दोपहर 3.00 बजे से खोली जावेगी। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
(ब) निविदा इलैक्ट्रॉनिक फोरमेट में <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धि व उनके पति /पत्नि) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधिनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पद स्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाए लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।

- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, जो स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- निविदादाता द्वारा सामग्री/कार्य उत्पादक/अधिकृत डीलर/विक्रेता/निर्माता /संवेदक होने का घोषणा पत्र (प्रारूप एस.आर.-11) संलग्न करना आवश्यक होगा।
- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

कार्य अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क
50 लाख से कम	500/- रुपये
50 लाख से 150 लाख तक	1000/- रुपये
150 लाख से 400 लाख तक	2000/-रुपये

निविदा शुल्क का डी.डी./बैंकर्स चैक सहायक अभियन्ता जलग्रण विकास एवं भू संरक्षण (IWMP -21) पंचायत समिति रायपुर के नाम देय होगा।

- इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाताओं को निविदा शुल्क के अतिरिक्त आर.आई.एस.एल. का रु 50.00 लाख तक निविदा के लिये रु 500.00 एवं रु 50.00 लाख से अधिक की निविदा में रु0 1000/-शुल्क डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) बैंकर्स चैक (बी.सी) Managing Director, RISL Jaipur में भुगतान योग्य निविदाशुल्क के साथ जमा कराना होगा।
- जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी, उसे नियमानुसार नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा।
- स्टाम्प की राशि निम्नानुसार होगी:-
10 लाख से कम के लिए 500/- रु. नान ज्यूडीशियल स्टाम्प।
10 लाख से 50 लाख तक के लिये 1000/- रु0 नान ज्यूडीशियल स्टाम्प।
50 लाख से 150 लाख तक के लिए 2000/- रु. नॉन ज्यूडीशियर स्टाम्प।
- निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदाशर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
- धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत (जब्त) किया जावेगा:-

(अ) जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलों में युक्ति समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

- करार पत्र पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की निष्पादित स्टाम्प शुल्क प्रतिपण (Counter foil) निशुल्क प्रस्तुत की जावेगी।
- निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- निविदा में वर्णित कार्यों में से किसी कार्य का सीएसआर/जनसहयोग द्वारा कराये जाने पर निविदादाताओं को कोई भुगतान उस कार्य का नहीं किया जावेगा।
- कार्यों के क्रियान्वयन हेतु लेआउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिये संवेदक को दक्ष अभियन्ता रखना होगा।
- कार्यों का भुगतान विभाग द्वारा जिले में नियुक्त कन्सलटेड के निरीक्षण एवं अभिशंषा के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- कार्यों के सूचारु क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
- संवेदक द्वारा निविदा में दी गयी दर बी0एस0आर0 दर से 10 प्रतिशत से भी ज्यादा कम पायी जाती है तो कार्य की अनुमानित लागत के अनुसार जितने प्रतिशत टेन्डर प्रीमीयम 10 प्रतिशत कम से ज्यादा कम है उसकी अन्तर राशि अनुबन्ध के समय (Security Depsoit) के साथ जमा करवानी होगी। न्यूनतम दर वाली फर्म को निर्धारित दर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध के समय कुल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि (Security Depsoit) के रूप में जमा करानी होगी। (पूर्व में जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में कर लिया जावेगा।) तथा यदि निविदादाता "जी" अनुसूचि दर से 10 प्रतिशत की दर से कम दर प्रस्तुत करता है तो निविदादाता को 10 प्रतिशत कम दर से प्रस्तुत दर के बराबर अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस लोटाई जावेगी। न्यूनतम दर वाले निविदादाता को दर स्वीकार करने का पत्र जारी किया जावेगा। इस पत्र के सात दिवस में अन्तर राशि बैंक गारन्टी /फिक्सड डिपोजिट रसीद/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में करायी जा सकेगी इन प्रतिभूतियों की वैधता निर्धारित कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि/वास्तविक तिथि से तीन माह तक की होगी। यदि निर्धारित अवधि में अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करायी जाती है तो 2 प्रतिशत बिड सिक्युरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया जाता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति के साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर ली जायेगी।

- कार्यो की दरे सभी प्रकार के टैक्स, वेट इत्यादि सहित होंगी एवं इन दरों को चुकाने के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदाही होगा ।
- बकाया भुगतान राशि/अमानत राशि/प्रतिभूति राशि पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा ।
- कार्यो का सम्पादन Standard Technical Specification के अनुसार किया जाना होगा। अभियन्ता इन्चार्ज एवं उप समिति (जलग्रहण) की कार्य गुणवत्ता समिति की सन्तुष्टता रिपोर्ट पश्चात भुगतान कार्यवाही की जायेगी ।
- संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा जारी कार्यादेश के क्रम में सम्पादित किये गये कार्य कि प्रविष्टि माप पुस्तिका मे करने के उपरान्त, जलग्रहण उपसमिति के अध्यक्ष/सरपंच, कनिष्ठ अभियन्ता/अभियान्त्रिकी जलग्रहण सदस्य /सचिव के सत्यापन पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा ।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी एवं निविदा के साथ निविदादाता द्वारा अलग से लगाये गये संलग्न पत्रादि स्वीकार योग्य नही होंगे। दरें शब्दों व अंको में स्पष्ट रूप से अंकित की जावें तथा कटिंग होने पर उसे लघु हस्ताक्षर करके प्रमाणित की जावें। दरें बी.एस.आर. से प्रतिशत कम या अधिक का स्पष्ट उल्लेख नही होने पर उनकी निविदा निरस्त मानी जायेगी। निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- निविदादाता राजस्थान मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यवहारी होना चाहिए (अर्थात् वर्णित कार्यो हेतु टिन नम्बर हैं) एवं जिनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक यथोचित श्रेणी मे, पी.डब्ल्यू.डी/जल संसाधन विभाग/सी.ए.डी आदि में हो के द्वारा निविदाएँ डाली जा सकेगी। इस बाबत् आवश्यक प्रमाण पत्र तकनिकी निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी कर-अदेयता-प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी ।
- आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी ।
- कार्यादेश संबंधित फर्म को संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा ।
- कार्यो का भुगतान अभियान की मार्गदर्शिका में अंकित ग्राम स्तरीय समिति से अनुशंषा होने के पश्चात् किया जावेगा ।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार सभी शर्ते लागू होगी ।
- फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में वैट राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग में वैट राशि जमा कराने का दायित्व फर्म को होगा ।
- भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर, इत्यादि अन्य कटौतियां की जावेगी ।
- कार्य गुणवत्तापूर्वक, स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित ड्राईंग-डिजाईन के अनुसार करना होगा। स्पेसिफिकेशन से निम्न स्तर का पाये जाने पर कार्य का भुगतान नही किया जावेगा जिसके लिए साईट इन्चार्ज का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।

- कार्य के दौरान जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की ही होगी। सुरक्षा के पूर्ण उपाय निर्धारित नियमों के अनुसार निविदादाता द्वारा करने होंगे।
- कार्य करने हेतु संवेदक के पास कम से कम 1 वर्ष का राजकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।
- निजी लाभ के कार्यों जैसे मेडबन्दी, व्यक्तिगत लाभ आदि कार्यों में नियमानुसार लिया जाने वाला अशदान लाभार्थी से प्राप्त कर कार्यालय में जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में नियमानुसार राशि सीधे बिल से काट ली जावेगी।
- कराये गये सभी कार्यों की दो वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी (defect liability) कान्ट्रैक्टर (संवेदक) की होगी, जिसके लिये अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- बीजारोपण कार्य में अंकुरित प्रतिशतता 80 से 90 प्रतिशत होने पर पूर्ण भुगतान किया जायेगा अन्यथा अंकुरित प्रतिशतता कम होने पर अनुपातिक कटौति की जावेगी।
- सामग्री की आपूर्ति के समय तकनिकी अधिकारी / सप्लायर के द्वारा सेम्पल लिया जावेगा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड पाली एव अन्य जांच एजेन्सीयों की जांच उपरान्त नार्मस के अनुसार गुणवत्ता पाये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा। सेम्पल फेल होने पर आपूर्ति कर्ता को अपने हर्जे-खर्चे पर कार्यस्थल से माल उठाना होगा।
- (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी/सेवा के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा। (ii) परिसमापित नुकसानी:- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के अधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-
 - (1)(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2½%
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7½%
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%
- (2) प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसान की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु यह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद करेगा।

- (5) यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से पूरे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
- वसूलियाँ:—परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टुट-फुट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टुट-फुट, रद्द किए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको बदलता है तो परिसमापित नुकसानों के साथ वसूली उनकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अर्न्तगत कारवाही की जाएगी।
- यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सेल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबद्ध कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोक सेवकों/संविदा कर्मियों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
- संवेदक को कार्य स्थल पुस्तिका एवं कार्य पत्रावली का संधारण करना होगा, कार्य के विभिन्न स्तरों जैसे कार्य के पूर्व, प्रगति एवं पूर्ण कार्य का फोटो संधारण करना होगा। कार्यस्थल पर कार्य की निर्देशानुसार जानकारी वाला साईन बोर्ड (ईटों या लोहे का निर्मित) लगाना आवश्यक होगा।
- कार्यादेश में उल्लेखित अवधि के अन्दर कार्यों को अनिवार्य रूप से करना होगा एवं कार्यादेश में दर्शायी गई अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा। संवेदक द्वारा समय पर कार्य सम्पादन करने में विफल होने पर योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को यदि बिना काम के भुगतान करने की स्थिति में होने वाले व्यय की पूर्ति संवेदक के बिल/ बयाना राशि से की जायेगी। यदि संवेदक समय पर एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य करने में विफल होता है तो संवेदक के हर्ज खर्च (Risk & Cost) पर अन्य एजेन्सी से कार्य करवाया जायेगा। संवेदक से वसूली योग्य राशि संवेदक के किसी भी कार्य, जमा प्रतिभूतिया से या वैधानिक कार्यवाही द्वारा नियमानुसार वसूली की जा सकती है एवं **संवेदक को ब्लेक लिस्टेड किया जा सकता है।**
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बिल प्रारूप में ही वेट राशि को अलग से दर्शाकर फर्म को तीन प्रतियों कार्यवार बिल प्रस्तुत करना होगा।
- निविदाएँ, उनके स्वीकृत किये जाने की दिनांक से 31.05.2017 तक की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में पारस्परिक समझौते के जरिये समय अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- किसी भी प्रकार के विवाद में **परियोजना प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियन्ता वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद, पाली** का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों हेतु मान्य होगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।

- भुगतान:— (i) किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान प्रदाय नहीं किया जाएगा। (ii) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा। जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों। आपूर्तिकर्ता की सामग्री /सेवा का क्रेता अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर परीक्षण कराया जा सकेगा। परीक्षण शुल्क क्रेता अधिकारी द्वारा वहन किया जावेगा।
- **Site Visit :** The tenderer shall, prior to submitting his tender for the work, visit and examine the Site of works and its surroundings at his own expenses and obtain and ascertain for himself on his own responsibility all information that may be necessary for preparing his tender and entering into a Contract including the actual conditions, regarding the nature, conditions of site, availability of materials, labour, probable sites for labour camps, stores etc. and extent of lead and lift required for the work in complete form over the entire duration of the Contracts after taking into consideration local conditions obstructions in work, if any, and allow for all such extras likely to be incurred due to any such conditions, restrictions, obstructions, etc. in the quoted Contracts Price for the work.
- A tenderer shall be deemed to have full knowledge of the site, whether he inspects it or not, and no extra charges consequent on any misunderstanding or otherwise shall be allowed.
- **Deadline for Tender Submissions :** Tender must be submitted through E Tender system up to 10.02.2017 **upto 21.02.2017** and shall be opened online on 22.02.2017 **at 3.00 PM.** in the presence of those tenderers who may choose to be present. If such last date is declared a public holiday by the Government in the receiving office, next official working day would be deemed as the last date for opening of the tenders.
- The contractor shall not work after the sunset and before sunrise without specific permission of the authorized Engineer.
- None of the permanent work shall be carried out during nights or Sundays or any other Govt. holidays without permission in writing of the Engineer-in-Charge.
- The contractor shall furnish his programme of construction for execution of the work within the stipulated time schedule together with methodology of construction of each type of work and obtain the approval of the Engineer prior to actual commencement of work.
- निविदा के प्रत्येक पत्र पर निविदादाता के हस्ताक्षर अंकित होना आवश्यक है।
- सम्बन्धित वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर पंजीयन प्रमाणपत्र एवं दिनांक 31.12.2016 तक का कर चूकती प्रमाण-पत्र निविदा के साथ **सलंगन करना होगा।** जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
- दरें गन्तव्य स्थान सम्बन्धित कार्य की साईट पर एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए एवं समस्त सामग्री का परिह्वन चार्ज निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

- दरों की तुलना :- राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदात दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।
- राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल किया जाएगा।
- जी-शिड्युल की मात्रा में कमी एवं बढ़ोतरी करने का अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- विभाग से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता या अन्य कोई अधिकारी, प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में निरीक्षण कर सकेंगे।
- यदि निविदादाता सप्लायर की जाने वाली सामग्री का बीमा करवाना चाहता है तो बीमा सम्बन्धित समस्त व्यय निविदादाता को वहन करने होंगे।
- आपूर्ति की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा मूल्यांकन के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति /किये कार्य के समय ही सामग्री के प्रस्तुत बिल (तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने के उपरान्त परिपत्र में वर्णित उपयोग हेतु) का वास्तव में मौके पर हुए कार्य का तकनीकी अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में नापों का अंकन करने के उपरान्त अकाउण्ट पेयी चैक द्वारा किया जावेगा एवं विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा तथा उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।
- निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
 - (1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टर आफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर
 - (4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्टर के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
- समस्त सामग्री का भुगतान माप पुस्तिका में खपत अनुसार किया जायेगा बची हुई सामग्री को ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर साइट से हटाया जावेगा।

• ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश-

(अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ब) निविदादाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है। नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) निविदादाओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट उपरोक्त वबेसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) ऑनलाईन निविदाएँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या-3 के अनुसार खोली जायेगी।


(य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्ण निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें की निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों संलग्न कर दी गयी है।

(र) कोई भी टेन्डर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

(ल) टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भर कर ऑनलाईन दर्ज करे।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर संवेदक मय सील
मोबाईल नं0



To be give on Non-Judicial Stamp Paper of Rs 50/- only

फर्म :-

शपथ पत्र


मै घोषणा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये परियोजना क्षेत्र **RAI_MJSAll_2016-17 (ब्लॉक रायपुर)** के अन्तर्गत पुर्ण कार्य कराने हेतू मेरी फर्म का सरपंच/ग्राम सेवक या गठित निविदा कमेटी के सदस्यो के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी पारिवारिक सम्बन्ध नही हैं।

कार्य का नाम :-

ग्राम पंचायत-एमजेएसए द्वितीय मे चयनित समस्त, ग्राम पंचायत, रायपुर.

दिनांक

हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर



To be give on Non-Judicial Stamp Paper of Rs 50/- only


फर्म :-

शपथ पत्र

मै घोषणा करता हूँ कि मुख्मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये परियोजना क्षेत्र **RAI_MJSAIL_2016-17 (ब्लॉक रायपुर)** के अन्तर्गत पुर्ण कार्य कराने हेतू मेरी फर्म किसी भी राजकिय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित नही हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर



To be give on Non-Judicial Stamp Paper of Rs 50/- only

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर/पता

मो. न. —

Annexure A : Compliance with the code of integrity and No conflict of interest

Any person participating in procurement process shall, -

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit information that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest

A conflict of interest for procuring entity or its personnel and bidders is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:-

- (a) They have controlling partners in common;
- (b) They receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
- (c) They have the same legal representative for purposes of the bid;
- (d) They have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another;
- (e) A bidder participates in more than one bid in the same bidding process. However, this does not limit the inclusion of the same sub-contractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) A bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the subject matter of procurement of the bidding process.
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or took is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer in charge consultant for the contracts.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the bidder

In relation to my/our bid submitted to for procurement of in response to their notice inviting bids no Dated I/we hereby declare under section 7 of rajasthan transparency in public procurement act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding document issued by the procuring entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the bidding documents;
3. I/we are not involment, in receivership, bankrupt or being worsted up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspected and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reason.
4. I/we do not have and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false satatements or misrepesatation as to my/our qualifications to enter into a procurement contract vithin a period of three years preceding the commensment of this procurement process or not have been otherwise disqualified present to debarment proceedings.
5. I/we do not have conflict of interest as specafied in the acts, rules and the bidding document, which materially affects fair competition.

Date:

signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first appellate Authority is.. PM,WCDC, ,Pali

The designation and address of the second appellate Authority is... Director WD&sSC jaipur

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any design, action or omission of the procuring entity is a controvention to the provision of act or the rules for the guidelines issued their under by may file an appeal to first appellate authority as specified in the bidding document within a paried of ten days from the date of such decision or action omission as the case may be clarify giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Providing that after the declaration of leader as successful the appeal may be filed only by a bidder to has participated in procurement proceedings.

Providing further that is a case a procuring entity emphiates the technical bids before the opning the financial bids. An appeal related to the matter of fininal bid may be filed only by a bidder rules technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expedifioutly as possible and shall endeavour to dispose it within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fail to dispose the appeal filed within the period specified in para (2) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order pass by the first appellate authority the bidder or the prospective bidder or the procuring entity as the case may be file a second appeal to second appealed authority specified in the bidding document in this within fifteen days from the expiry of the period specified in the para (2) or of the date of recepiet of the order pass by the first appealent authority as the case may be.

(4) Appeal not to be file in a certain cases:

No appeal shall be lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters namely:

- (a) Deteremation of need of procurement.
- (b) Provisions limiting particiapation of bidders in the bid process.
- (c) The decision of whether or not enter into negotiation.
- (d) Cancllation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidenpiality.

(5) Form of Appeal:- (1) An appeal under sub-section (1) or (3) of section 38 shall be in Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(2) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(3) Every appeal may be presented to first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Fee for filing appeal:- (1) fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be repees ten thousand, which shal be non-refundable.

(2) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

Procedure for disposal of appeal:- (1) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(2) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

- (a) hear all the parties to appeal present before him; and
- (b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(3) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant record or copies thereof relating to the matter, the Appeallate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(4) The order passed under sub-rule (3) shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure –D

1 Correction of arithmetic errors in financial bids:- the bid evaluation committee shall correct arithmetical errors in substantially responsive bids, on the following basis, namely:-

- (a) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail of the bid evaluation committee there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in word is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above.

2 Procuring Entity is Right to vary quantity:- (1) at the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased, but such increase shall not exceed twenty percent of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the bidding documents.

(2) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

(3) Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions give in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-

- (a) 50% of the quantity of the individual items and 20% of the value of original contract in case of works; and
- (b) 25% of the value of goods or services of the original contract.

3 Dividing quantities among more than one bidder at the time of award:- As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted if such condition is specified in the bidding documents. Counter offer to first lowest bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest bidder (L2), third lowest bidder (L3) etc. (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as per-disclosed in the bidding documents, shall not be deemed to be a negotiation.

FORM No. 1

[See rule 82]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof.....

Before the.....(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy). Or a statement of decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;

6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....Supported by an affidavit)


7. Prayer:

.....
.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature



To be give on Non-Judicial Stamp Paper of Rs 50/- only

AFFIDAVIT

I/We..... Proprietor/partner/Authorize signatory of M/S
.....Undertake the oath that the information furnished by me/us in the
assessment Bid for Mini Percolation Tank, Stregered Trench, C.C.T., Deep C.C.T., Field
Bunding, Sunken gully pit etc. in IWMP-21(Untited Fund MjsaII) Panchayat Samiti Raipur(Pali)
is correct to the best of my/our knowledge. If any information is found to be incorrect Assistant
Engineere and PIA IWMP Panchaytat Samiti Raipur has right to reject the Bid and to take action
against me/us as per rules.

Proprietor/Partner/Authorized Signatory
M/S.....

Percentage BoQ

Validate Print Help

Tender Inviting Authority: कार्यालय सहायक अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण पंचायत समिति रायपुर (पाली)

Name of Work: अकृषि भूमि पर स्ट्रेगर्ड ट्रेंच, सीसीटी, डीपसीसीटी निर्माण कार्य

Contract No.:

Bidder Name		PRICE SCHEDULE										
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)												
Sl. No.	NUMBER #	TEXT #	Item Description	NUMBER #	Quantity	TEXT #	Units	NUMBER	Estimated Rate	TOTAL AMOUNT Without Taxes	TOTAL AMOUNT In Words	TEXT #
1	1	2	जागबेलिंग करना 5 सेमी. से 7.5 सेमी. गहराई तक	4	299620.0000 mt.	5		6	1.1800	53	INR Three Lakh Fifty Three Thousand Five Hundred & 55	
2.01			नौव ट्रेचज में मिट्टी की खुदाई का कार्य खुदी हुई मिट्टी का निस्तारण तथा समतल करना। (आईएम 2 के अनुसार) (ब)सख्त मिट्टी में/कंकर मिली मिट्टी में (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर)		24338.3700 cum				78.0000	1898392.8600	INR Eighteen Lakh Ninety Eight Thousand Three Hundred & Ninety Two and Paise Eighty Six Only	
2.02			(ब)सख्त मिट्टी में/कंकर मिली मिट्टी में (श्रमिक द्वारा)		10430.7300 cum				123.3600	1286734.9528	INR Twelve Lakh Eighty Six Thousand Seven Hundred & Thirty Four and Paise Eighty Five Only	
3			धामणे घास के बीज की आपूर्ति (बाजार दर) 1 किलो/लैन प्रति 100 मी. (3 लैन में)		1797.7200 kg				350.0000	629202.0000	INR Six Lakh Twenty Nine Thousand Two Hundred & Two Only	
4			धामणे घास के बीज की बुवाई 3 लाईन में		179772.0000 mt.				0.8700	156401.6400	INR One Lakh Fifty Six Thousand Four Hundred & One and Paise Sixty Four Only	
Total in Figures										4324282.9528	INR Forty Three Lakh Twenty Four Thousand Two Hundred & Eighty Two and Paise Ninety Five Only	
Quoted Rate in Figures										0.0000	INR Zero Only	
Quoted Rate in Words										INR Zero Only		

(Signature)
सहायक अभियंता

जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
पंचायत समिति, रायपुर (पाली)

Validate

Print

Help

Percentage BoQ

Tender Inviting Authority: कार्यालय सहायक अभियंता जलग्रहण विकास एवं सू संरक्षण पंचायत समिति रायपुर (पाली)

Name of Work: अकृषि मृमि पर एमपीटी निर्माण कार्य

Contract No:

Bidder Name

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Estimated Rate	TOTAL AMOUNT Without Taxes	TOTAL AMOUNT In Words	NUMBER #	TEXT #
1	2	4	5	6	53	55		
1	डागबेलिंग करना 5 सेमी. से 7.5 सेमी. गहराई तक	3199.3500 mt.		1.1800	3775.2330	INR Three Thousand Seven Hundred & Seventy Five		
2	जंगल की सफाई, मारी झाड़ियों तथा 30 सेमी लपेट के पौधों को काटने समेत।	12797.4000 sqm		2.4800	31737.5520	INR Thirty One Thousand Seven Hundred & Thirty Seven and Paise Fifty Five Only		
3	नीव ट्रेचेज में मिट्टी की खुलाई का कार्य खुदी हुई मिट्टी का निस्तारण तथा समतलीकरण करना (आईएम 2 के अनुसार) बेचिंग बेस कार्य हेतु (ब) सखल मिट्टी में / ककर मिली मिट्टी में (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर)	2792.0207 cum		78.0000	217777.6146	INR Two Lakh Seventeen Thousand Seven Hundred & Seventy Seven and Paise Sixty One Only		
4	ट्रेच में मिट्टी की खुलाई का कार्य (ब) सखल मिट्टी में / ककर मिली मिट्टी में (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर)	153.5688 cum		78.0000	11978.3664	INR Eleven Thousand Nine Hundred & Seventy Eight and Paise Thirty Seven Only		
5	काली मिट्टी का विभिन्न दूरी के लिए परिवहन सामग्री को चढाना, उतारना, व स्लॉकिंग सहित। (परिवहन की लम्बाई निकटतम रूट से गणना की जावेगी व कि साइक मार्ग से) 5 कि.मी.	409.5168 cum		85.2200	34899.0217	INR Thirty Four Thousand Eight Hundred & Ninety Nine and Paise Two Only		




6	मिट्टी का कार्य बंध में (सुखी व गीली) 15 सेमी परत में डालना डेलो को तोड़ना घासपात तथा कंकर बीनकर अलग करना तथा मिट्टी की दरसेी करना तथा शीफ फुट रोलर से मिट्टी दबाना, 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी के लिए कठोर मिट्टी (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर) मिट्टी की आपूर्ति शून्य काटने के बाद (1/6)	26351.9884 cum	78.0000	2055455.0952	INR Twenty Lakh Fifty Five Thousand Four Hundred & Fifty Five and Paise Ten Only
7	देंच में मिट्टी का कार्य बंध में (सुखी व गीली) 15 सेमी परत में डालना काली मिट्टी में (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर) मिट्टी की आपूर्ति शून्य काटने के बाद (1/6)	153.5688 cum	78.0000	11978.3664	INR Eleven Thousand Nine Hundred & Seventy Eight and Paise Thirty Seven Only
8	कोर वॉल में मिट्टी का कार्य बंध में (सुखी व गीली) 15 सेमी परत में डालना काली मिट्टी में (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर) मिट्टी की आपूर्ति शून्य काटने के बाद (1/6)	255.9480 cum	78.0000	19963.9440	INR Nineteen Thousand Nine Hundred & Sixty Three and Paise Ninety Four Only
9	नीव ट्रैवेज में मिट्टी की खुदाई का कार्य खुदी हुई मिट्टी का निस्तारण तथा समतलीकरण करना (आईएम 2 के अनुसार) बाँध वास कार्य हेतु (ब) सख मिट्टी में / कंकर मिली मिट्टी में (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर)	1279.7400 cum	78.0000	99819.7200	INR Ninety Nine Thousand Eight Hundred & Nineteen and Paise Seventy Two Only
10	नीव तथा कुर्सी में पत्थर की वे रफ़ा ढोका चिनाई, गांरा मसाले में या बिना मसाले में सुखे पत्थर में। सुखे पत्थर की चिनाई	345.5298 cum	1631.6800	563794.0641	INR Five Lakh Sixty Three Thousand Seven Hundred & Ninety Four and Paise Six Only
11	15 से 30 सेमी मोटे हथोड़े से तरसे हुए एकल पत्थर की चिनिंग समस्त उठान के साथ, आपूर्ति के साथ	531.0038 cum	1232.1300	654265.7478	INR Six Lakh Fifty Four Thousand Two Hundred & Sixty Five and Paise Seventy Five Only

2

(Signature)

3

12	घामण घास के बीज की आपूर्ति (बाजार दर) 1 किलो/लैन प्रति 100 मी. (6 लैन में)	38.3922	kg	350.0000	13437.2700	INR Thirteen Thousand Four Hundred & Thirty Seven and Paise Twenty Seven Only
13	घामण घास के बीज की बुवाई 6 लाईन मे	3839.2200	mt.	0.8700	3340.1214	INR Three Thousand Three Hundred & Forty and Paise Twelve Only
Total in Figures					3722222.1166	INR Thirty Seven Lakh Twenty Two Thousand Two Hundred & Twenty Two and Paise Twelve Only
Quoted Rate in Figures					0.0000	INR Zero Only
Quoted Rate in Words						INR Zero Only


सहायक अभियन्ता
उल्लग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
न्यायत समिति, रायपुर (पाली)

Validate

Print

Help


Percentage BoQ

Tender Inviting Authority: कार्यालय सहायक अभियंता जलमंडण विकास एवं मू. संरक्षण पंचायत समिति रायपुर (पाली)

Name of Work: कृषि भूमि पर मेडबंदी निर्माण कार्य

Contract No:

PRICE SCHEDULE							
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)							
NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Estimated Rate	TOTAL AMOUNT Without Taxes	TOTAL AMOUNT In Words	
1	2	4	5	6	53	55	
1	डाम बोलिंग करना 5 सेमी. से 7.5 सेमी. गहराई तक	17712.0000 mt.		1.1800	20900.1600	INR Twenty Thousand Nine Hundred and Paise Sixteen Only	
2	मिट्टी का कार्य बन्ध में (सखी या गौली), 15 सेमी परत में डालना, ढेलों को तोड़ना घासपात तथा कंकर बीनकर अलग करना तथा मिट्टी की दरसी करना तथा शीफ फूट रोल्स से मिट्टी देबाना, 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी के लिए कठोर मिट्टी (मशीन द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पारित दर)	8029.4400 cum		78.0000	626296.3200	INR Six Lakh Twenty Six Thousand Two Hundred & Ninety Six and Paise Thirty Two Only	
3	घामणे घास के बीज की आपूर्ति (बाजार दर) 1 किलो/लेन प्रति 100 मी. (3 लेन में)	177.1200 kg		350.0000	61992.0000	INR Sixty One Thousand Nine Hundred & Ninety Two Only	
4	घामणे घास के बीज की बुवाई 3 लाईन में	17712.0000 mt.		0.8700	15409.4400	INR Fifteen Thousand Four Hundred & Nine and Paise Forty Four Only	
Total in Figures					724597.9200	INR Seven Lakh Twenty Four Thousand Five Hundred & Ninety Seven and Paise Ninety Two Only	
Quoted Rate in Figures					0.0000	INR Zero Only	
Quoted Rate in Words			Select		INR Zero Only		



 (पाली)

 संरक्षण

 पंचायत समिति

 रायपुर

Percentage BoQ


Validate Print Help

Tender Inviting Authority: कार्यालय सहायक अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण पंचायत समिति रायपुर (पाली)

Name of Work: अकृषि भूमि पर संकनगली पिट निर्माण कार्य

Contract No:

PRICE SCHEDULE									
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)									
NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Estimated Rate	TOTAL AMOUNT Without Taxes	TOTAL AMOUNT In Words	TEXT #		
1	2	4	5	6	53	55			
1	अग बेलिंग कार्य करना 5 सेमी. से 7.5 सेमी. गहराई तक जंगल की सफाई, भारी झालियों तथा 30 से.मी. स्पेस तक के पौधों को काटने समेत। (Item No. 192)	1064.0000	mt	1.1800	1255.5200	INR One Thousand Two Hundred & Fifty Five and Paise Fifty Two Only			
2		1641.0000	mt	2.4800	4069.6800	INR Four Thousand & Sixty Nine and Paise Sixty Eight Only			
3	Excavation including loading, unloading, disposal and dressing of excavated earth within initial lead of 50m and lift up to 1.5m in dry or moist including dressing of excavated area, dewatering wherever required complete in all respect. Hard / dense soil (By Machinery)	1091.5200	cum	78.0000	85138.5600	INR Eighty Five Thousand One Hundred & Thirty Eight and Paise Fifty Six Only			
Total in Figures					90463.7600	INR Ninety Thousand Four Hundred & Sixty Three and Paise Seventy Six Only			
Quoted Rate in Figures					0.0000	INR Zero Only			
Quoted Rate in Words					INR Zero Only				


 ज्योति राजपुरोहित
 जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
 रायपुर (पाली)